# कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

## (नजारत–अनुभाग)

### किराये पर वाहन की आपूर्ति हेतु सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–4 लखनऊ के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–3/2019/289/एक–4–2019–रा0–4 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जनपद प्रयागराज की निम्नलिखित तहसीलों में नायब तहसीलदारों के प्रयोगार्थ वाहन (बोलेरो/टाटा सूमो) आउट सोर्सिंग के माध्यम से रजिस्टर्ड ट्रेवेल्स एजेन्सीज से किराये पर लिये जाने हेतु **दिनांक 03.09.2019 से 05.09.2019 के अपरान्ह 12.00 बजे तक प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय कक्ष में टेण्डर आमंत्रित किया जाता है।** प्राप्त टेण्डर दिनांक 05.09.2019 को अपरान्ह 03.00 बजे प्रभारी अधिकारी (नजारत) कलेक्ट्रेट, प्रयागराज के कार्यालय खोला जायेगा।

| क्रमांक | तहसील जहॉं के लिए वाहन किराए पर लिया जाना है। |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1 | तहसील सदर |
| 2 | तहसील सोरॉंव |
| 3 | तहसील फूलपुर |
| 4 | तहसील बारा |

टेण्डर की शर्तेः–

1. यह टेण्डर वित्तीय वर्ष 2019–20 (31.03.2020) तक के लिए होगा तथा टेण्डर केवल रजिस्टर्ड ट्रेवेल एजेन्सीज द्वारा ही प्रस्तुत किया जायेगा।
2. निविदादाता को अपनी दरें अनिवार्य रूप से अंको एवं शब्दो में साफ–साफ अंकित करनी होगी।
3. इस निविदा सूचना के सापेक्ष निविदादाता द्वारा किसी प्रकार की शर्त लगायी जाती है, तो उस पर विचार नही किया जायेगा।
4. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसे नियमानुसार गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर) पर निविदा के नियमों व शर्तो के आलोक में संविदा प्रदान किये जाने की तिथि से 05 दिन के भीतर एक संविदा बॉण्ड निष्पादित करना होगा, इस पर होने वाला व्यय सम्बन्धित निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। संविदा बॉण्ड निष्पादित करने के तत्काल बाद कार्यादेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. निविदा स्वीकृत कर दिये जाने के बाद सम्बन्धित निविदादाता की यदि आकस्मिक मृत्यु अथवा अन्यथा अक्षमता हो जाने की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त निविदादाता के विधिक उत्तराधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उन उत्तरदायित्वो के निर्वहन के फलस्वरूप देय समस्त भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किये जा सकेंगे।
6. किराये पर लिये जाने वाली बोलेरो/टाटा सूमो की ईंधन (डीजल) की आपूर्ति सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा आवश्यकतानुसार किया जायेगा। वाहन चालक सम्बन्धित निविदादाता का होगा जिसके परिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित निविदादाता द्वारा ही किया जायेगा।
7. वाहन के प्रयोग की अवधि में रख–रखाव की जिम्मेदारी एवं वाहन में आने वाली समस्त कमियों को दूर कराने का दायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा। इस हेतु निविदादाता को कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जायेगा। शासकीय कार्य हेतु मरम्मत की अवधि में निविदादाता को दूसरा वाहन प्रतिस्थापन स्वरूप उपलब्ध कराना होगा।
8. निविदादाताओं को निविदा के साथ अपनी फर्म (ट्रेवेल एजेन्सी) का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (निविदा पंजीकृत ट्रेवेल्स एजेन्सी द्वारा ही डाली जायेंगी)

9. फर्म/निविदादाता के नाम से कम से कम 05 वाहनो की टैक्सी परमिट वाले होना अनिवार्य है।
10. निविदादाता के साथ वाहन परिवहन विभाग के नियमों के अनुसार पंजीकरण/बीमा/प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाण–पत्र एवं वाहन चालक का आधार कार्ड व ड्राइविंग लाईसेन्स संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. यात्रा दौरान यदि किसी प्रकार की दुर्घटना आदि होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/वाहन मालिक की होगी।
12. आवश्यकतानुसार निविदा दिनांक 31.03.2020 तक के लिये मान्य होगी तथा परस्पर सामंजस्य एवं कार्यो के सन्तोषपूर्ण सम्पादन के आधार पर अगले वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकृत किये जाने पर विचार किया जा सकेगा। कार्यो के सन्तोषजनक सम्पादन न होने की स्थिति में एग्रीमेन्ट की अवधि समाप्त होने के पूर्व ही 07 दिनों की नोटिस देकर जिलाधिकारी प्रयागराज द्वारा एग्रीमेन्ट समाप्त किया जा सकेगा।
13. संस्था द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि मे से नियमानुसार आयकर/अन्य अनुमन्य करों की कटौती की जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा जमानत के रूप में रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) की धनराशि एन0एस0सी0/एफ0डी0 जिलाधिकारी, प्रयागराज के पदनाम से (टेण्डर अवधि के लिए) PLEDGE करना होगा तथा निविदादाता द्वारा संविदा की शर्तो का अनुपालन न कर पाने पर निविदा निरस्त कर दिये जाने की दशा में जमानत की सम्पूर्ण धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
15. टेण्डर स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी, प्रयागराज में निहित होगा।
16. विज्ञप्ति की शर्ते http://etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है।
17. टेण्डर के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में नजारत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, प्रयागराज से प्राप्त की जा सकती है।

26/08/19
(रजनीश कुमार मिश्र)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कलेक्ट्रेट, प्रयागराज।

संख्या 1495/नाजिर–नौ–ए दिनांक 26 अगस्त, 2019

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी प्रयागराज, महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी/मुख्य राजस्व अधिकारी/नगर मजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट/समस्त उप जिलाधिकारीगण, प्रयागराज।
3. समस्त तहसीलदारगण, प्रयागराज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, प्रयागराज को इस आशय से कि एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर उपरोक्तानुसार टेण्डर आमंत्रित करने सम्बन्धित विज्ञप्ति http://etender.up.nic.in पर अपलोड कराने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित कराएं।
5. उप निदेशक, सूचना प्रयागराज को इस आशय से कि सम्बन्धित टेण्डर की सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर देयक प्रस्तुत करें।
6. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट प्रयागराज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर व्यापक प्रचार–प्रसार कराने हेतु।

26/08/19
रजनीश कुमार मिश्र)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
कलेक्ट्रेट, प्रयागराज।